रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032022-233973
CG-DL-E-07032022-233973

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2022/ फाल्गुन 16, 1943
No. 173] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2022/PHALGUNA 16, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

सा.का.नि. 176.—कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों को अंतर्विष्ट करने वाला प्रारुप कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 400 (अ), तारीख 14 जून, 2021 द्वारा उन सभी व्यक्तियों, जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है, से उस तारीख जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, से 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए, प्रकाशित किया गया था;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 14 जून, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) उन्हें जनवरी, 2017 के 20वे दिन से लागू माना जाएगा।

2. कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 55 के उप नियम (1) के तीसरे परन्तुक के बाद निम्नलखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि यदि कोई बीमाकृत महिला मातृत्व हितलाभ प्राप्त कर रही है और मातृत्व हितलाभ के कारण, उस अंशदान समाप्त अवधि में कम अंशदान अवधि उपलब्ध है जिसमें मातृत्व हितलाभ आता है, तो वह तदनुरूपी हितलाभ अवधि में बीमारी हितलाभ का दावा करने के लिए योग्य होगी, यदि ऐसी अंशदान अवधि में बीमाकृत महिला के संबंध में देय अंशदान के संबंध में कार्य के लिए उपलब्ध दिवसों की संख्या आधी से कम न हो।"

[फा. सं. एस-65012/01/2021-एसएस-I]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत का राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 तारीख 22 जून, 1950 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 676(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2020 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 56 के उप नियम (2) के अधीन तारीख 20 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 62(अ.) के माध्यम से 20 जनवरी, 2017 से प्रभावी प्रसूति प्रसुविधा को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया था। प्रसूति प्रसुविधा में 26 सप्ताह (अर्थात 182 दिन) की वृद्धि से इस प्रसुविधा का लाभ उठाने वाली बीमित महिला रूग्णता लाभ (नकद लाभ) प्राप्त करने की पात्र नहीं रह जाती है क्योंकि गर्भावकाश के कारण उक्त भुगतान अवधि में उससे कोई पर्याप्त अंशदान प्राप्त नहीं हुआ था। ऐसी बीमित महिला को रूग्णता लाभ भी प्राप्त करने के लिए पात्र बनाने के प्रयोजन से प्रस्ताव किया जाता है कि नियम 55 के उप नियम (1) में संशोधन किया जाए ताकि 20 जनवरी, 2017 से प्रभावी एक नए परन्तुक को पूर्वव्यापी प्रभाव से अंत:स्थापित किया जा सके जिससे इस नियम के संशोधन न किए जाने से ऐसी सभी महिलाएं जो पात्र नहीं रह गई हैं उनको उक्त तारीख से प्रसुविधा का लाभ दिया जा सके। इससे अधिक से अधिक बीमित महिलाएं ऐसे लाभ का दावा कर सकेंगी और इस पूर्वव्यापी संशोधन से कोई भी लाभार्थी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के किसी अन्य प्रसुविधा का लाभ लेने से अन्यथा वंचित नहीं रहेगा।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

G.S.R. 176(E).—Whereas a draft containing certain rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 400 (E), dated the 14th June, 2021, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 14th June, 2021;

And whereas, objections and suggestions received from stakeholders in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 20th day of January, 2017.

2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in sub-rule (1) of rule 55, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case of an insured woman who is in receipt of maternity benefit and due to reason of which a shorter contribution period is available to her in the contribution period in which the maternity benefit falls, she shall be qualified to claim sickness benefit in the corresponding benefit period if the contribution in respect of her was payable for not less than half the number of days available for working in such contribution period.".

[F. No. S-65012/01/2021-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and last amended *vide* notification number G.S.R. 676(E), dated the 27th October, 2020.

Explanatory Memorandum

Maternity benefit under sub-rule (2) of rule 56 of the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 was enhanced from 12 weeks to 26 weeks with effect from 20th January, 2017 *vide* notification number G.S.R. 62(E), dated the 20th January, 2017. The enhancement in maternity benefit to 26 weeks (i.e.,182 days) led to the insured woman availing this benefit becoming dis-entitled to sickness benefit (cash benefit) as no sufficient contribution was received in that particular contribution period due to confinement. In order to make such insured woman entitled to sickness benefit also, it is proposed to amend the sub-rule (1) of rule 55 so as to insert a new proviso with retrospective effect, i.e., with effect from 20th January, 2017 so that all those who became dis-entitled by not amending this rule earlier, can avail the benefit from the said date. This would entitle more insured women to claim the benefit and this retrospective amendment shall not prejudicially affect any beneficiary of any other benefit entitled under Employees' State Insurance Act, 1948.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.03.07 22:49:14 +05'30'